न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 68/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 11.08.2025 निर्णय दिनांक : 17.10.2025

1. गिरधारी पुत्र रामस्वरूप, जाति अहीर, निवासी बहरोड, तहसील बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान। .....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
2. बाबूलाल पुत्र रूपनारायण जाति वाल्मीकी, निवासी बहरोड, तहसील बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड, राज0। .....अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री लालचन्द यादव अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–17.10.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के समक्ष प्रकरण उनवानी बाबूलाल बनाम अर्जना वगै0 प्रकरण संख्या 69/2023 विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
3. वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अनुवानी प्रकरण बाबूलाल बनाम अर्चना न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के समक्ष विचाराधीन है। उक्त दावा पूर्व में दिनांक 5–6–2024 को डिकी हो चुका था जिसमें प्रार्थीगण की तामिल जरिये अखबार पंजाब केसरी से करवाई थी जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 3–9–2024 को प्रार्थी ने जरिये वकील आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे मन्जूर फरमाया गया लेकिन राजस्व रिकार्ड में डिकी की पालना हो चुकी है जिसे दुरूस्त नही किया जा रहा है। वादी बाबूलाल एक बाहुबल व धनबल से युक्त है तथा राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है एवं उनके द्वारा ऐसी एलानिया धमकी दी गयी है उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से उनकी सांठ गाठ हो गयी है अब हम उक्त प्रकरण में दावा डिक्री करवायेगें तथा हमारे पक्ष में फैसला करवायेगें। वादी राजनैतिक पहुँच वाला आदमी है जिससे प्रार्थी को ओर अन्देशा हो गया है कि उसको उक्त प्रकरण में निश्चित रूप से न्याय नहीं मिलेगा। इस प्रकार प्रार्थी को नाजायज परेशान किया जा रहा है। प्रकरण में वादी दावा डिकी करवाने पर आमादा है यदि दावा डिक्री हो जाता है तो ऐसी गलत प्रार्थना पत्रो की बहुल्ता बढेगी प्रार्थी को महत्वपूर्ण अधिकारो से महरूम होना पड़ रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी को उक्त न्यायालय से कोई न्याय की उम्मीद नही है। अतः प्रार्थी के उक्त वाद पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड से ट्रांसफर किया जाकर किसी सक्षम न्यायालय से निस्तारण करवाया जाना न्यायसंगत होने के कारण उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किये जाने की कृपा करे।
5. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी को सूचित किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

नही आने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.06.2024 को अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरान्त उपरोक्त वाद अप्रार्थी सख्या 02 के हक में डिक्री किया था तदउपरान्त प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष आदेश 09 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनाक 30.09.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थी/प्रतिवादी को जवाब देही हेतु अवसर दिया था परन्तु प्रार्थी प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अनेक अवसर लिये जाने के उपरान्त भी लगभग 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया एव न्यायालय द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु 200/– रूपये कोस्ट पर अंतिम अवसर दिया गया है परन्तु उनके द्वारा न तो जवाब दावा प्रस्तुत किया ना ही कोस्ट की राशि अदा की अपितु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा अवसर चाहे जाने पर आगामी तारीख पेशी नियत की है इससे स्पष्ट है कि स्वयं प्रार्थी/प्रतिवादी उपरोक्त प्रकरंण को लंबित करने की नियत से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं कर रहे है अपितु प्रकरण में विलंब करने की नियत से उपरोक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी/वादी अनुसूचित जाति (वाल्मिकी समुदाय) के व्यक्ति है एवं गरीब व पिछड़े तबके से आते है जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी उच्च वर्ग है तथा उपरोक्त पत्रावली में ऐनकेन प्रकरण विलब अप्रार्थी/वादी को न्याय से वचित रखना चाहते है।

प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाते हुए महज तहत न्यायालय के प्रकरण को लंबित करने के उददेश्य से न्याय प्रणाली का अविश्वास जताते हुए झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी ने एक पक्षीय कार्यवाही करवाते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित करवाई जाकर मन उत्तरदाता की गैरमौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करवाई। जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थी के द्वारा आपत्ति पेश करने पर तहत न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करने के आदेश पारित किये। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाये जाने की कृपा करें।

5. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण उनवानी बाबूलाल बनाम अर्जना वगै0 प्रकरण संख्या 69/2023 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण वास्ते जवाब दावा लम्बित होने की स्थिती में, प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने पर, जवाब दावा पेश करने के अवसर बंद किये जाने के आदेश हुऐ है, जो न्यायालय की विधिक प्रक्रिया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा विचाराधीन प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित करना न्यायोचित्त नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बहरोड को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रियंका गोस्वामी)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़